बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 29.01.25

संख्या–8/आ0 (राज0 नि0)–1–24/2023–383/ श्री प्रणव शेखर, तत्कालीन अवर निबंधक, बाबूबरही (मधुबनी) के द्वारा बिना अनुमति के विभागीय बैठक का विडियो रिकॉडिंग कर वायरल करने के मामले में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–7, 8, 10 एवं 12 का उल्लंघन के साथ–साथ Official Secret Act, 1923 तथा IT Act 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2075 दिनांक 21.04.2023 द्वारा श्री शेखर से लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2 श्री शेखर द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.05.2023 के माध्यम से विभाग में अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री शेखर द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं स्पष्टीकरण में उल्लेखित बिन्दु संदेहात्मक पाये जाने के कारण लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प सं0–2979 दिनांक–06.06.2023 के द्वारा श्री शेखर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–उप सचिव के ज्ञापांक–1035 दिनांक–27.07.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत् संचालन पदाधिकारी–सह–उप सचिव के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक–4174 दिनांक–08.08.2023 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. श्री प्रणव शेखर, तत्कालीन अवर निबंधक, बाबूबरही (मधुबनी) सम्प्रति अवर निबंधक, झंझारपुर (मधुबनी) के पत्र दिनांक– 22.08.2023 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया जिसमें श्री शेखर द्वारा उनके प्रति निष्पक्ष एवं न्यायोचित निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया।

6. श्री प्रणव शेखर, तत्का0 अवर निबंधक, बाबूबरही (मधुबनी) सम्प्रति अवर निबंधक, झंझारपुर (मधुबनी) द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी जिसमें पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी, श्री प्रणव शेखर द्वारा समर्पित अपने द्वितीय बचाव बयान में न तो कोई साक्ष्य समर्पित किया है और न ही कोई नया तथ्य अंकित किया है। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी

से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (i) के तहत् आरोप वर्ष 2023–24 के लिए निन्दन का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(संजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 नि0)–1–24/2023–383/ पटना, दिनांक– 29.01.25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 नि0)–1–24/2023–383/ पटना, दिनांक– 29.01.25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधुबनी/जिला अवर निबंधक, मधुबनी/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/विभागीय प्रोग्रामर एवं श्री प्रणव शेखर, तत्का0 अवर निबंधक, बाबूबरही (मधुबनी) सम्प्रति अवर निबंधक, झंझारपुर (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,